

संवाद से खुली शिक्षा की राह

प्रमोद दीक्षित 'मलय'*

यही कोई दो-ढाई वर्ष पहले की बात है। वे जाड़े के दिन थे। उस दिन आसमान में सूरज का कहीं अता-पता न था, बादल हवा के साथ तैर रहे थे। नरैनी ब्लॉक संसाधन केंद्र में मेरी नियुक्ति के ये शुरुआती दिन थे। मेरे साथ ही चार अन्य सहयोगी भी थे। मैं ठंड दूर करने के लिए हथेलियों को आपस में रगड़ रहा था। लेकिन ठंड तन-मन में हावी थी। कुछ लकड़ियाँ जुटाकर हम सबने बाहर खुले में आग तापने का निश्चय किया। हालाँकि, लकड़ियाँ गीली थीं और धुआँ उगल रही थीं जो आंख-नाक में घुस रहा था। लेकिन इन्हीं सीली लकड़ियों में आग भभकने की आशा में हम लोग चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उधर से एक गाँव का नाम लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी का निर्देश मिला, “इस गाँव में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में ताला डाल दिया है। आप वहाँ जाइए। कैसे भी बने, बात करके ताला खुलवाकर शाम तक रिपोर्ट दीजिए।” इसके पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता फ़ोन कट गया। मैंने उस गाँव के बारे में अपने सहयोगियों से कुछ ज़रूरी जानकारी जुटाई। कुछ अन्य स्रोतों से भी वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया तो पता चला कि वह गाँव बागैं नदी के उस पार बीहड़ में स्थित है, लेकिन क्षेत्र में उस गाँव

की पहचान एक पढ़े-लिखे समझदार गाँव के रूप में है। वहाँ के कुछ लोग नौकरियों में भी हैं। मालूम हुआ कि गाँव के लोग अध्यापकों के कार्य-व्यवहार से खासे नाराज़ हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि एक स्वयं सेवी संस्था वहाँ पिछले तीन सालों से आजीविका और शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रही है और विद्यालय में ताला डालने के लिए लोगों को उसने ही उकसाया है। जाने से पहले मैंने वहाँ कार्यरत शिक्षकों से बात कर प्रकरण को समझने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने साथ चलने के लिए संबंधित संकुल प्रभारी से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि वह दो दिन से बुखार से पीड़ित हैं और कहीं आ-जा पाने की स्थिति में नहीं हैं। सहकर्मियों ने कुछ अत्यावश्यक कार्य पूरे करने का रोना रोया। आखिर ओखली में सिर कौन देना चाहेगा। खैर, मरता क्या न करता, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अकेले ही चल पड़ा।

वह विद्यालय मेरे कार्यालय से लगभग 25 कि.मी. दूर था। बाइक आगे बढ़ी जा रही थी और कस्बा पीछे छूट रहा था। मैं चिंतित था। मन में अनेक प्रश्न कौंध रहे थे। आखिर गाँव के लोगों ने विद्यालय में ताला क्यों डाला होगा? शिक्षकों ने क्या गड़बड़ कर दी होगी? संस्था के लोगों ने गाँव वालों को ऐसा

* ब्लॉक संसाधन केंद्र, नरैनी, बांदा में सह-समन्वयक (हिंदी) पद पर कार्यरत। 79/18, शास्त्री नगर, अतर्रा 210201, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश

करने के लिए क्यों उकसाया होगा? इसी उधेड़बुन और मन ही मन सवालियों के उत्तर खोजता मुख्य मार्ग से अब मैं संपर्क मार्ग में आ चुका था। मार्ग के दोनों ओर दूर-दूर तक फैले धान के खेत मन मोह रहे थे। पकते धान की महक अच्छी लग रही थी। मेंडों पर लगे बबूल के पेड़ों से रिसते गोंद को खाते पक्षियों के झुंड और उनका कलरव वातावरण में स्वर लहरी बिखेर रहा था। पल भर को मन उनमें रमता और दूसरे ही पल तमाम आशंकाओं से घिर जाता। एक अज्ञात भय मेरी पोर-पोर में समाया जा रहा था। अचानक एक बाज पक्षी बिलकुल मेरे सिर के ऊपर से किसी ‘फ़ाइटरप्लेन’ की तरह झपट्टा मारते हुए सामने के खेत से एक चूहे को पंजों में दबोच ले गया और एक सियार दाहिनी ओर के खेत से निकल सड़क पार कर जंगली झाड़ियों में घुस गया। विचारों का जाल एकदम से छिन्न-भिन्न हो गया और मैं कल्पना लोक से यथार्थ की खुरदरी पगडंडी पर हिचकोले खाते आगे बढ़ने लगा। अब खेतों की माटी का रंग और बनावट बदलने लगी थी। खेतों में अरहर और ज्वार-बाजरे की फ़सल अपने यौवन में हवा के साथ बलखाती नाच रही थी। मैं प्रकृति का यह हरापन आंखों में भर लेना चाहता था। मैंने बाइक बंद की और दोनों हाथों को फ़ैलाकर ताज़ी हवा को खींच कर फ़ेफ़ड़ों में भर लिया। ऊपर आसमान में बादलों के बीच से सुनहरी किरणें फूट रही थीं। उस समय मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी था। लेकिन सामने नज़र जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नदी का बालूभरा पाट मेरी परीक्षा लेने को तैयार खड़ा था। नदी में पुल नहीं था। एक बारगी लगा कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। मैं नदी पार करने के बारे

में सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, “बाबू जी, कैथा-महुआ के पेड़ के नीचे से ढलान मा बस नाक कै सीध चले जाव। कच्चा पुल से नदी पार करतै चढ़ाई मा गाँव मिल जाई।” मैंने अपने पीछे खेत में काम कर रहे उस वृद्ध किसान से विद्यालय और वहाँ हुई घटना के बारे में जानकारी ली और धन्यवाद दे आगे बढ़ गया। गाँव नदी पार करते ही ऊपर टीले पर था। मैं गाँव में प्रवेश कर चुका था। अब वह विद्यालय और वहाँ की भीड़ दिखाई पड़ने लगी थी। मैं अपने आपको मन ही मन तैयार कर रहा था।

जब मैं विद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुँचा तो लगभग आधा दिन बीत चुका था। बाहरी गेट खुला हुआ था। विद्यालय के चैनल और अन्य कक्षा-कक्षों पर दो-दो ताले पड़े हुए थे। कुछ बच्चे अपने बस्ते लिए इधर-उधर घूम रहे थे। कुछ बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। कुछ गिप्पी-गेंद और कुछ बच्चे एक लकड़ी के फ़ट्टे के बैठ और कपड़े की गेंद से क्रिकेट खेल रहे थे। लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी और लगभग छोटी उम्र की थी। वे अपने एक बड़े समूह में खो-खो खेल रही थीं तो चार लड़कियों का एक छोटा समूह पूरी घटना से बेखबर ‘गोट्टा’ खेलने में व्यस्त और मस्त था। महिलाएँ भी थीं, लेकिन उनकी सक्रिय सहभागिता नहीं थी। वे केवल मूकदर्शक थीं। संभवतः विभाग पर दबाव बनाने के लिए उनको प्रयोग किया जा रहा था। वे लंबे-लंबे घूँघट में भीड़ के एक ओर खड़ी आपस में बातें कर रही थीं और घूँघट को केवल दो उंगलियों से अजीब प्रकार से मोड़कर उन उंगलियों के बीच में से पूरी भीड़ और घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थीं।

शायद, वहाँ उपस्थित शिक्षक ने मुझे देख लिया था और उत्साह से मेरी ओर लपकते हुए बोल पड़ा, “साहब आ गये, साहब आ गये।” लोगों के चेहरे मेरी ओर मुड़ गए। मैं उनके चेहरों पर आक्रोश और व्यवस्था के प्रति विद्रोह के भाव स्पष्ट पढ़ पा रहा था। मैं उनके और समीप पहुँच चुका था। ऐसी भीड़ से यह मेरा पहला सामना था और मैं अंदर से डर रहा था। हालाँकि, मैंने स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से भरा बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की हुई थी। लेकिन सच यही था कि मैं किसी अनहोनी और एक अनजाने भय से ग्रस्त था।

मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था। उस शिक्षक ने गाँव वालों से मेरा परिचय कराया। मैंने गाँव वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए समझाया, “देखो, विद्यालय एक सरकारी सम्पत्ति है। बच्चों की पढ़ाई को जबरन रोकना, दरवाजों पर ताला डालना, भवन का दुरुपयोग करना, किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ करना और सरकारी काम में बाधा पहुँचाना अपराध है। आपसे अनुरोध है कि सभी ताले खोल दें ताकि पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके। आपकी जो समस्याएँ या मांगें हैं वे सब मुझसे कहें। मैं आपकी बात सक्षम अधिकारियों तक पहुँचा कर समाधान निकालने का भरसक प्रयास करूँगा।”

मैंने देखा कि मेरी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनकी माँग थी कि बेसिक शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आए, तभी ताला खुलेगा और बातचीत होगी। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझ पर एक साथ हजारों प्रश्नों

की बौछार कर दी। संकट का अनुभव कर मैंने सोचा कि यदि मैंने वहाँ उपस्थित व्यक्तियों से अब गर्म तेवर में बात की तो मामला और उलझ सकता है। क्योंकि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उत्तेजित था और आक्रामक भी। जिसके मन में जो आ रहा था, वह बोल रहा था। कुछ किशोर-से लड़के बीच-बीच में चैनल में दो-चार लात भी मार दे रहे थे, शायद विकृत व्यवस्था के प्रति गुस्से के इजहार का उनका अपना तरीका था। भीड़ का एक हिस्सा चारदीवारी को तोड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि हिंसक व्यवहार ही समाधान है। वहाँ जोर-जोर से आवाजें आ रही थीं। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। सब अपनी-अपनी हाँक रहे थे। वह भीड़ थी, वहाँ कोई नेता नहीं था या यह कहूँ कि वहाँ हर कोई अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा नेता दिखाने की अघोषित होड़ में शामिल था। उसका कारण यह था कि निकट भविष्य में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले थे।

मैंने भीड़ से कहा कि इस तरह हल्ला-गुल्ला करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। संवाद से रास्ते खुलते हैं। आपका गुस्सा जायज़ हो सकता है। लेकिन याद रखिए, गुस्से में भटकाव की संभावना हुआ करती है। क्यों न हम सभी आराम से बैठकर बातचीत करें। विद्यालय और शिक्षकों को लेकर आपकी जो भी समस्याएँ हैं, प्रश्न हैं या अपेक्षाएँ हैं, बेझिझक कहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको समाधान मिलेगा। मेरे इस प्रस्ताव पर बुजुर्ग सहमत होते दिखे, लेकिन उत्तेजित युवा वर्ग ने उन्हें मोड़ दिया। डोर मेरे हाथ में आते-आते रह गई।

एक बार फिर परिसर में नारेबाजी होने लगी। उनमें किसी उच्चाधिकारी से बात करने की ज़िद थी। मैं लगभग असहाय था, लेकिन हार मानने को तैयार न था। मैंने फिर कोशिश की।

अब मैंने उन बुजुर्ग लोगों को, जो अब तक मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे और कहीं न कहीं सहमत थे तथा संस्था के कार्यकर्ता से भी आग्रह किया कि ताला खुलवाएँ। लोकतांत्रिक तरीके से ही समाधान निकलेगा। बातचीत ही अंतिम रास्ता है। मैंने उन लोगों की अपने अधिकारी से भी बात करवाई। आखिर वे ताला खोलने और बैठने को तैयार हो गए।

उन लोगों ने अपने अन्य साथियों से बात कर सभी ताले खोल दिए और अध्यापक सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं की ओर ले जाने लगे। मैंने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। गला सूख रहा था और उस ठंड में भी मैंने एक गिलास पानी गटक लिया।

मैं किसी कमरे में समुदाय के कुछ चयनित लोगों के साथ बैठना चाह रहा था ताकि शांत और बेहतर वातावरण में बातें हों और टकराव से बचा जा सके। लेकिन उन लोगों की इच्छा थी कि बाहर खुले में बैठा जाए ताकि सब लोग अपनी बात रख सकें और बातचीत की पारदर्शिता बनी रहे। विद्यालय से दरियाँ और प्लास्टिक की चटाइयाँ निकाल कर बरगद के नीचे चबूतरे पर बिछा दी गईं। लगभग शांति थी। हाँ, कभी-कभी बरगद पर बैठे किसी कौवे की कांव-कांव से नीरवता ज़रूर भंग होती, लेकिन थोड़ी देर में वह उड़ गया। आकाश में बादलों का छंटना शुरू हो गया था।

अब वहाँ पर अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित गाँव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। मैंने अनुरोध किया कि यह एक अच्छा अवसर है कि हम प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को अभिभावकों से क्या अपेक्षाएँ तथा अभिभावकों को शिक्षकों से क्या अपेक्षाएँ हैं, पर बात कर सकते हैं। मैंने एक दांव और चला कि आप सब खुले मन से अपने विचार और सुझाव रखें कि इस विद्यालय को बेहतर कैसे बनाया जाए। बच्चों को एक रचनात्मक वातावरण मिले और बच्चों का बिना बाधा के सीखना संभव हो सके। यह दूसरों के दोष गिनाने का समय नहीं है। हम सबको मिलकर साथ-साथ कदम बढ़ाना होगा, तभी हम सही मायनों में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मैं देख रहा था, वे शांत एवं स्थिर ज़रूर थे, लेकिन उनमें हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था और भभकता लावा बाहर निकलने को व्यग्र था।

चुप्पी तोड़ते हुए एक युवा अभिभावक ने कहा कि स्कूल कभी-भी समय से नहीं खुलता। बच्चे इधर-उधर खेलते-घूमते रहते हैं और अक्सर लड़ने-झगड़ने लगते हैं। किसी दिन कोई बच्चा चोटिल हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। दूसरे कोने से एक बुजुर्ग का आक्रोश फूटा, “क्या कारण है कि कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चे भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते और गणित के सामान्य सवाल हल करने में कठिनाई आती है? मेरे पास बैठे व्यक्ति, जो शायद कहीं नौकरी करते हैं और छुट्टी में घर आए थे, ने कहा कि यहीं विद्यालय के पास में

मेरा घर है और जब मैं यहाँ होता हूँ तो देखता हूँ कि शिक्षक बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर पिटाई करते हैं। उन्हें मुर्गा बना देते हैं, गधा और बेवकूफ़ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साहब, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित है?’’ तभी उस बात में जोड़ते हुए एक नवयुवक जो शायद कस्बे के किसी निजी स्कूल में शिक्षक है, ने अपनी बात कही कि यहाँ के अध्यापक कहते हैं कि बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि उन्होंने सीखने के कैसे और कितने अवसर बच्चों को उपलब्ध कराए हैं? वे बच्चों को कितना समझते हैं? क्या पाठ रट लेना ही सीखना है? तभी पीछे खड़ा एक युवक तीखे स्वर में बोला कि यहाँ के अध्यापक कक्षा में ही गुटका-तम्बाकू चबाते रहते हैं और बच्चों से ही दुकान से गुटका मंगवाते हैं। क्या यह ठीक आचरण है।

मैं देख रहा था कि अध्यापकों के सिर झुके हुए थे। इन बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित शिक्षकों के चेहरों में तमाम भाव आ-जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि विद्यालय में हम दो शिक्षक हैं। एक शिक्षामित्र और मैं सहायक अध्यापक। विद्यालय का चार्ज भी मेरे पास है। मुझे विभागीय कार्यों, जैसे— एमडीएम का खाद्यान उठाने, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में बच्चों के खाते खुलवाने, बन रहे एकल कक्ष की सामग्री खरीदने एवं अचानक आ गए अन्य कार्यों को करने हेतु न चाहते हुए भी स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। बैठकों में संकुल एवं बी.आर.सी जाना होता है। वहीं शिक्षामित्र का दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण बी.आर.सी में चल रहा है। उसकी ड्यूटी मतदाता सूची संशोधन कार्य में भी

बीएलओ के रूप में पिछले छः महीनों से लगी है और तहसील की भागदौड़ बनी रहती है। इसके अलावा वह पल्स पोलियो अभियान में भी अपनी सेवाएँ दे रहा है। हममें कमियाँ हो सकती हैं, इसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि विद्यालय समय से और नियमित खुले। बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल दे पाएँ। हमें आपसे सहयोग भी नहीं मिलता। कोई भी बच्चा नियमित नहीं आता है, जो बच्चे एक दिन आते हैं वो दूसरे दिन नहीं आते और दूसरे दिन आने वाले बच्चे अगले दिन नहीं आ पाते। इस कारण हम विषय को आगे नहीं पढ़ा पाते और वहीं उलझे रहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर अपने साथ खेतों पर काम करने ले जाते हैं।

इतना सुनते ही एक प्रौढ़ व्यक्ति, जो शायद खेत से सीधे चला आया था और पास ही घास का गट्टर रखे बैठा था, लगभग चिल्लाते हुए बोला, “देखा साहब, जब लड़कन-बिटियन का इस्कूल मा कुछ सीखें का ना मिली तो हम उन्हें काहे का इस्कूल भेज कै टाइम बरबाद करी। तौ अपने साथ लेवा जाइत हैं कि खेती-किसानी का काम सीख लैय अउर हमार बोझा हल्काया।” अन्य गाँव वासियों ने भी सहमति प्रकट की और कहा कि यह बात सोलह आने सच है।

मैंने विद्यालय में लड़कियों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों को चाहिए कि लड़कियों को विद्यालय भेजें। लड़कियों के शिक्षित हुए बिना विकास की बात बेईमानी है। फिर उन्हें दूसरे घर जाना है। उनका समर्थ और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस बात पर महिलाओं की ओर से

किसी ने कुछ कहा जो मैं दूर होने के कारण सुन न पाया। तब कॉलेज जाने वाले एक छात्र ने उस महिला की बात को साझा करते हुए कहा कि विद्यालय में कोई शौचालय न होने के कारण वे अपनी सयानी लड़कियों को नहीं भेजते। उसने एक बात अपनी ओर से जोड़ी कि यहाँ लड़कियों का नाम देर से लिखाते हैं। इस कारण कक्षा 5 तक आते-आते वे 14-15 साल की हो जाती हैं। नम वातावरण में हमारा संवाद गति पकड़ रहा था और हम सही दिशा में जा रहे थे। लोग बेझिझक अपनी बात कर रहे थे। विद्यालय के प्रति उनकी सकारात्मक सोच को मैं समझ रहा था। तभी किसी के घर से एक लड़का चाय लाया और गिलासों में आठ-दस लोगों को चाय दी। चाय अच्छी थी, चीनी के साथ बहुत हल्का-सा नमक भी डाला गया था। थोड़ी गरमाहट का अनुभव हुआ। बातों का क्रम फिर चल पड़ा। लेकिन अब गुस्सा नहीं एक दूसरे को समझने और सहयोग देते हुए विद्यालय को बेहतर बनाने का दोस्ताना भाव था। संवाद से शिक्षा की राह खुल रही थी।

मेरे ठीक बगल में बैठे गाँव के तीस वर्ष तक प्रधान रहे एक वृद्ध ने कहा कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ, उसका खेद है। लेकिन यह लाभ भी हुआ कि वास्तविकता को समझ पाए हैं। मन को पढ़ पाए हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज विद्यालय की दूरी बढ़ी है। विद्यालय के विकास में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जबकि सरकार विद्यालय के विकास में समाज की भूमिका को महत्व दे रही है। लेकिन शिक्षक कभी भी गाँव से सलाह-मशविरा नहीं करते। कभी किसी प्रकार का संपर्क नहीं करते।

वे मोटर साइकिल से आते हैं और चले जाते हैं। आज शिक्षक एक सरकारी कर्मचारी बन कर रह गया है। जिनमें बच्चों और इस विद्यालय के प्रति अपनेपन का भाव नहीं है। समाज से भी कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय बहुत पुराना है। अब नया और पक्का भवन ज़रूर बन गया है लेकिन इसमें प्राण नहीं हैं। वे अपने विद्यार्थी जीवन की यादें साझा करते हुए बोले कि तब यह भवन कच्चा था और खपरैल थी। इसकी देखरेख अभिभावक और गाँव के अन्य लोग मिलकर करते थे। शिक्षक भी बच्चों से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते थे और कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षकों का गाँव के प्रत्येक घर में आना-जाना था और सबके सुख-दुख में सहभागी थे। हम सब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी विद्यालय से पूरी की और कई उपलब्धियाँ हासिल की थीं।

तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि क्या ज्ञान किताबों में ही मिलता है? गाँव में तमाम कामों में कुशल और कलाओं में दक्ष लोग हैं। जिन्हें स्कूल में बुलवाकर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे हुनर में भी प्रवीण हो जाएँगे। मुझे उनकी बात में बड़ा दम नज़र आया। मैंने अनुरोध किया कि अपनी बात को खुल कर बताएँ। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में मिट्टी के बर्तन बनाने, बांस से पंखा-डलिया बनाने, जूट से चटाई-पाखरी बनाने के पुश्तैनी काम होते हैं। आज के बच्चे ये काम सीखने में शर्माते हैं। ये कला नष्ट होने की कगार पर है। मेरा सुझाव है कि यदि इन्हें स्कूल से जोड़ दिया जाए तो वे इसके महत्व को समझेंगे और यह कला बची रहेगी।

शाम घिर आई थी। समस्या का समाधान भी लगभग हो चुका था। अब चलने की बेला थी। मैंने सबके सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि “इस विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की और अब आपके बच्चे भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विद्यालय आपका है। यह इस गाँव की संपत्ति है, सांझी विरासत है। इसकी रक्षा करना आपका नैतिक और सामाजिक दायित्व है।” सबके चेहरे खिले हुए थे। रोम-रोम से उत्साह छलक रहा था। वे मुझे छोड़ने गाँव के छोर तक आए।

उस विद्यालय से बराबर संबंध बना रहा। बाद में उस पूरी ग्राम पंचायत के शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी ने बैठककर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वे शिक्षक अब वहाँ नहीं हैं और नयी भर्ती में तीन नए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है और हाँ, एक प्रधान अध्यापक भी पहुँच गए हैं। स्थितियाँ पहले से अच्छी हैं, लेकिन कोई उल्लेखनीय बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर पाए हैं। हम सबकी सीमाएँ हैं। लेकिन गाँव संतुष्ट है और मैं ...? शायद नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना शेष है।